पत्र संख्या/एफ0टी0. HPFD-F05/60/2024 (एफ0सी0ए0)
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–1

प्रेषित: क्षेत्रीय अधिकारी,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड,लॉगवुड, शिमला,
हिमाचल प्रदेश–171001

दिनांक शिमला–1 24 FEB 2025

विषय: **Diversion of 2.1338 ha. of forest land in favour of NHAI, for upgrading the existing 2 lane with paved shoulder from end of Hamirpur bypass (Chilbahal) to Bhangwar Section via Jwalamukhi from (Package-IVB+VA) of NH-88 (New NH-3 and 303) (Design chainage Kms.138+295 to 175.270, Design Length 36.975 Kms.) in the state of HP, within the jurisdiction of Hamirpur, Dehra & D/Shala Forest Divisions, Distt. Kangra, Himachal Pradesh. (Online No.FP/HP/Road/148886/2021)**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर FC/HPB/06/153/2022 दिनांक 23/02/2023 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

1 प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आश्य पर सहमति जताई है कि वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

2 प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आश्य पर सहमति जताई है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

3 **प्रतिपूरक वनीकरण:**

क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकारण के लिए 4.27 हे0 वन भूमि पर पौधरोपण कार्य Block/Compartment No.P.29K Daulatpur C-IC, Kangra Range Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh में किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 4.27 ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा कर दी गई है। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा

तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें। इस सम्बन्ध में बचनबद्धता संल्गित की गई है।

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आश्य पर सहमति जताई है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण/सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा कर दी गई है। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

(ग) वन मण्डलाधिकारी द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि उक्त भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र संल्गित है।

4. **शुद्ध वर्तमान मूल्यः**

क) प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आश्य पर अपनी सहमति जताई है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देषों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। प्रतिलिपि संल्गित है।

ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर अपनी सहमति जताई है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। प्रतिलिपि संल्गित है।

5. DFO concerned has submitted that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.

6. DFO concerned has submitted that the user agency has submitted an undertaking the period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. Copy enclosed.

7. DFO concerned has submitted that the user agency has been deposting the amount of WLMP Plan has Rs.34,39,300/- in Ad-hoc CAMPA. Copy attached.

8. DFO concerned has submitted that the user agency has been deposting the amount of Soil Moisture Conservation Plan Rs. 8,59,800/- in Ad-hoc CAMPA. Copy attached.

9. DFO concerned has submitted an undertaking has submitted user agency they will strictly follow the mitigation measures as suggested regarding the management of water resources in the vicinity of the area. undertaking is enclosed herewith.

10. DFO concerned has submitted that the user agency has submitted an undertaking that the tree felling shall be restricted to a maximum of 492 trees and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the user agency State Forest Department treaseary. Undertaking is enclosed herewith.

11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्ति किया गया है। प्रतिलिपि संल्गित है।

12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की दरो में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

13. राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि आर0सी0सी0 मानदडों के अनुसार यथासंभव, सडक के दोनो किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन लगाये जायेंगें। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि आसपास क्षेत्र की वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

17. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ई–पोंटल के माध्यम से प्रतिपूरक वनीकरण लागत एव आकस्मिक शुल्क, और शुद्ध वर्तमान मूल्य, WLMP & SML Plan (CA=Rs. 13,63,545/-+ NPV= Rs. 28,01,097/-+ WLMP= Rs. 34,39,300/-+ SML Plan=Rs. 8,59,800/- Total.=Rs. 84,63,742/-) की राशि Adhoc-CAMPA मे जमा किये गए है। प्रतिलिपि संल्गित है।

18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

19. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव को ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

20. वन भूमि एवं आसपास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। इस आश्य की वचन बद्धता सल्गित है।

21. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पित ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत्र से पर्याप्तः लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

22. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

23. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

24. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

25. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

26. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से निस्तारण स्थल से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर,

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण स्थलों पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

27. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आष्य पर अपनी सहमति जताई है कि यदि कोई अन्य संबन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी रहेगी। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

28. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आष्य पर अपनी सहमति जताई है कि अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

29. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उल्लंघनकर्ता पर कार्रवाई होगी। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

भवदीय,

नोड़ल आफिसर एवं प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०) हि०प्र०